म.प्र. विद्युत नियामक आयोग, भोपाल

चतुर्थ एवं पंचम तल, विट्ठन मार्केट, भोपाल – 462 016

भोपाल, दिनांक : 19 दिसम्बर, 2008

क्रमांकः 2754/म.प्र.विनिआ/2008. विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181 (2) (जेडई, जेडजी) सहपठित धारा 62(2) तथा 64(1), के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद् द्वारा दिनांक 6 अगस्त, 2004 को प्रकाशित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ अवधारण के लिये उत्पादन कम्पनियों और अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा दिए जाने वाला विवरण एवं आवेदन देने की रीति और उसके लिये भुगतान योग्य फीस) विनियम, 2004 में निम्न संशोधन करता है :–

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ अवधारण के लिये उत्पादन कम्पनियों और अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा दिए जाने वाला विवरण एवं आवेदन देने की रीति और उसके लिये भुगतान योग्य फीस) विनियम, 2004 में तृतीय संशोधन

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ :** (i) ये विनियम मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ अवधारण के लिये उत्पादन कम्पनियों और अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा दिए जाने वाला विवरण एवं आवेदन देने की रीति और उसके लिये भुगतान योग्य फीस) विनियम, 2004 (तृतीय संशोधन) [क्रमांक – एजी–13(iii), 2008] कहे जावेंगे ।

(ii) ये विनियम ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में प्रकाशन तिथि से प्रभावशील होंगे ।

(iii) ये विनियम सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में लागू होंगे तथा समस्त वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के संबंध में इनका क्षेत्राधिकार उनके विद्युत प्रदाय क्षेत्र के समवर्ती होगा ।

2. **विनियम 1.38 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तर–स्थापित की जावे :**

''टैरिफ आदेश के सत्यापन के लिये आवेदन –

1.38 अ) उत्पादन कम्पनी, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी एवं वितरण अनुज्ञप्तिधारी आयोग द्वारा जारी टैरिफ आदेश के सत्यापन के लिये आवेदन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करेंगे । कम्पनी/अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा निम्नलिखित जानकारियां प्रस्तुत करनी होगी ।

अ. उपाबंध – 5 में उपबंधित उत्पादन कम्पनी के आरूप.

ब. उपाबंध – 6 में उपबंधित पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के आरूप.

स. उपाबंध – 7 में उपबंधित वितरण अनुज्ञप्तिधारी का आरूप.

आयोग के आदेशानुसार

अशोक शर्मा, आयोग सचिव.